P 1.	R.M.M Law College Saharsa. Manvendra Mandal Parttime Lecturer	Drafting and Pleading. Part-II

विशिष्टियां या विवरण (particulars)

(1) विशिष्टियों का अर्थ (Meaning of particulars)

अभिवचन का चौथा आधारभूत नियम यह अपेक्षा करता है कि सारभूत तथ्यों को स्पष्टता एवं निश्चितता के साथ अभिकथित किया जाय। अभिवचनों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए आधारभूत तथ्यों के विस्तृत ब्यौरे आवश्यक है। अतः "अभिवचनों में कथित सारभूत तथ्यों के आवश्यक ब्यौरों को ही विशिष्टियाँ (Particulars) कहा जा सकता है।" ये particulars अभिवचनों का ही अंग होती है और पक्षकार अपनी विशिष्टियों से बाध्य होते हैं तथा उससे बाहर नहीं जा सकते। इस प्रकार particulars अभिवचनों की पूरक होती है। वी० रघुनन्दन बनाम के० नागेश्वर राव के मामले में आँध्र प्रदेश उच्चन्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि - अभिवचन में की विशिष्टियाँ स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(ii) विशिष्टियों के उद्देश्य (objects of particulars)

राजनारायण बनाम इन्द्रगाँधी के केस में न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा कि विशिष्टियों का कार्य वाद हेतु की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना तथा विपक्षी पक्षकार को उस केस की जानकारी कराना होता है जिसका उसे सामना करना होगा। निर्णीत वादों में विशिष्टियों के निम्न उद्देश्य इंगित किये गये है—

(i) अभिवचनों में स्पष्टता निश्चित करना (लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टीलरी

(ii) अभिवचनों की व्यापकता को कम करना (सांण्डर्स बनाम जोन्स

(iii) परीक्षण में हन्याबायरी को सीमित करना (टामसन बनाम बर्कले

(iv) तनकीहों (वादपत्रों) को संकुचित करना (लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टिलरी कं० लिमिटेड)

(v) सार्वजनिक समय की बहुत बड़ी बचत करना

Scanned with CamScanner